तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री मनोज कुमार नाग, सदस्य** **उपस्थित :** श्री अशोक अग्रवाल, अभिभाषक प्रार्थी । अप्रार्थी बाबजूद सूचना अनुपस्थित, एकतरफा कार्यवाही। **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत विद्वान उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी अप्रार्थी ने एक वाद घोषणा, इंद्राज दुरूस्ती एवं निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ के समक्ष बाबत् विवादित आराजी प्रस्तुत किया। दौराने वाद अप्रार्थी ने अंतर्गत आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी के विरूद्ध पूर्व में की गई इकतरफा कार्यवाहीं को निरस्त करने का निवेदन किया। उपखंड अधिकारी ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 8–7–04 द्वारा स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाहीं करते हुये उसका जवाबदावा बंद किया है। अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये गये। यहां तक कि कोस्ट पर भी जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इसके पश्चात् अप्रार्थी का जवाबदावा बंद किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 7	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	व धारा 151 जाब्ता दीवानी बिना कोई ठोस कारण व आधार के प्रस्तुत किया गया था। जिसे कानूनी प्रावधानों के विपरीत बिना किसी आधार के उपखंड अधिकारी द्वारा आदेश 9 नियम 9 जाब्ता दीवानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 8–7–04 निरस्त किया जावे। अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थिति, एकपक्षीय कार्यवाहीं अमल में लाई गई है। अभिभाषक प्रार्थी की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के साथ सलंग्न पत्रावली, दस्तावेज व आलोच्य आदेश का गहनता से अवलोकन किया गया। यह सही है कि अप्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय ने जवाब प्रस्तुत करने के कई अवसर दिये है तथा कोस्ट पर भी अवसर दिये जाने के बावजूद उसके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उसका जवाब बंद किया है। तत्पश्चात उपखंड अधिकारी चित्तौडगढ ने अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 व धारा 151 जाब्ता दीवानी स्वीकार करते हुये प्रकरण में वर्तमान कार्यवाहीं की स्टेज पर सम्मिलित होने की अनुमति दी है। प्रकरण में वादी की शहादत पूर्ण होकर वर्तमान में बहस के स्तर पर है। हमारी सुविचारित राय में उपखंड अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार करने से वाद के गुणावगुण पर कोई सारभूत प्राभाव नहीं पडता है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि परीलक्षित होना जाहिर करने में पूर्णतः असफल रहे है। निगरानी का क्षेत्र सीमित है तथा निगरानी के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–7–04 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः हस्तगत् निगरानी खारिज योग्य है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	परिणामतः हस्तगत् निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दफ्तर दाखिल हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मनोज कुमार नाग)** **सदस्य**	

निगरानी / टी.ए./ 3990 / 2004 / जिला चित्तौडगढ
गंगाबाई वगैरह बनाम हजारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

निगरानी / टी.ए./ 3990 / 2004 / जिला चित्तौडगढ
गंगाबाई वगैरह बनाम हजारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

निगरानी / टी.ए./ 3990 / 2004 / जिला चित्तौडगढ
गंगाबाई वगैरह बनाम हजारी